न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर

निर्णय द्वारा अध्यासित बिष्णु चरण मल्लिक आई॰ए॰एस

प्रकरण संख्या **45/2015** अपील (राजस्व)

श्री तुलसीराम पिता स्व. श्री उंकारजी डांगी, निवासी फेरनियों का गुड़ा, तहसील बड़गॉव, जिला उदयपुर (राज.)

—— **अपीलान्ट**

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बड़गॉव, जिला– उदयपुर

—— **रेस्पोडेन्ट**

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम निर्णय नायब तहसीलदार गिर्वा, नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांकित 30.07.1990

उपस्थित : श्री लोकेश गहलोत, अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री मनोज कुमार पॅवार, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः–31.10.2017

अपीलार्थी द्वारा एक अपील विरूद्ध आदेश नायब तहसीलदार गिर्वा के नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांकित 30.07.1990 से नाराज होकर अपील प्रस्तुत की गई है।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया है कि अपीलान्ट का नाम तुलसीराम पिता उंकारजी डांगी है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 30.07.1990 स्वीकार किये जाते समय पटवारी हल्का के द्वारा नामान्तरकरण भरते समय सजरे में अपीलान्ट का नाम गलती से तुलसा लिख दिया गया जबकि अपीलान्ट का नाम तुलसा कभी नहीं था और नाही उसको कभी तुलसा नाम से ही पुकारा जाता था और नाही आज से उसे तुलसा नाम से जाना जाता हैं। अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम तुलसीराम हैं। अपीलान्ट का सभी सरकारी दस्तावेजो में तुलसीराम डांगी ही नाम

है लेकिन तत्समय पटवारी हल्का द्वारा जल्दबाजी में स्व. श्री उंकार के दो पुत्र क्रमशः लाला व तुलसा अंकित किये और उक्त नामान्तरकरण स्वीकार भी हो गया, जिससे अपीलान्ट का राजस्व रेकार्ड में नाम तुलसा ही रह गया और इसी प्रकार खाता संख्या 167 में तुलसा नाम अंकित किया, लेकिन खाता संख्या 168 व 332 में तुलछा अंकित कर दिया जो एक ही नामान्तरकरण में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हैं। उक्त गलती नामान्तरकरण को देखने से ही स्पष्ट हो रही हैं। अपीलान्ट के बड़े भ्राता लाला लाऔलाद फौत हो गये, उनके एकमात्र विधिक वारिस भी अपीलान्ट ही हैं। लाला के मरने के पश्चात् उनका नामान्तरकरण भी अपीलान्ट के पक्ष में स्वीकृत किया गया था उस नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम बिल्कुल सही तुलसीराम डांगी अंकित किया गया है और राजस्व रेकर्ड में भी तुलसीराम डांगी ही चल रहा है, लेकिन केवल मात्र नामान्तरकरण संख्या 177 के आधार पर अपीलान्ट का नाम गलती से तुलसा व तुलछा अंकित हो गया है जो नितान्त गलत हैं। अपीलान्ट को हाल ही में उक्त भूमि पर लोन लेने की आवश्यकता पड़ी तो वह बैंक में जमाबन्दी दिखाने गया। बैंक अधिकारीयों ने कहा कि खाते में आपका नाम तुलछा अंकित है, इसलिये पहले आप इसे दुरूस्त करा लावे तभी आपको लोन दिया जा सकता हैं। इससे अपीलान्ट को उक्त गलती की जानकारी हुई। अपीलान्ट के अशिक्षित ग्रामीण होने की वजह से उक्त गलती की जानकारी पहले कभी नहीं हो सकी, जिससे उक्त नामान्तरकरण को अपीलान्ट का सही नाम शुद्ध कराये जाने की हद तक निरस्त फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक हो गया हैं। नामान्तरकरण के बकाया आदेश से अपीलान्ट व्यथित नहीं है, इसलिये वह नामान्तरकरण पर किसी भी प्रकार का अन्य रूपेण आक्षेप नहीं कर रहा हैं। अतः नामान्तरकरण संख्या 177 दिनांक 30.07.90 में अपीलान्ट का नाम तुलसा व तुलछा के स्थान पर तुलसीराम दर्ज कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया। विद्ववान पैरोकार सरकार द्वारा अपील का जवाब प्रस्तुत नहीं कर सीधे ही बहस की गई।

उभक्षपक्ष की बहस सुनी गई। विद्ववान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपनी अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी उंकार जी का पुत्र होकर उसका वास्तविक नाम तुलसीराम है लेकिन नामान्तरकरण संख्या 177 से पटवारी हल्का द्वारा तुलसा एवं तुलछा अंकित कर दिया गया हैं। जबकि मौजा फेरनियो का गुड़ा पटवार मण्डल थुर के खाता संख्या 114 में एक जगह तुलसीराम नाम अंकित है द्वितीय स्थान पर तुलछा अंकित हैं। मेरा सही नाम तुलसीराम डांगी हैं। अतः कृपया राजस्व रेकार्ड में सही नाम तुलसीराम डांगी अंकित कराये जाने के आदेश प्रदान करें।

विद्ववान अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा अपीलार्थी के कथनो का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अपने पक्ष में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज जो संलग्न पत्रावली है जिसमें रिलीज डीड दिनांक 11.04. 2011 की छायाप्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, पहचान पत्र की छायाप्रति का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के आधार कार्ड में जो पता दिया गया है वह पता खेमली रोड़ विजनवास उदयपुर का दिया हुआ है। पहचान पत्र में जो पता दिया गया है वह ग्राम थूर का दिया हुआ हैं एवं रिलीज डीड में जो पता दिया गया है वह फेरनियो का गुड़ा का दिया गया हैं। तीनो दस्तावेजो में विरोधाभास हैं। जो अपने आप में ही तुलसा व तुलछा दोनो अलग अलग व्यक्ति होने के पर्याप्त प्रमाण हैं। अतः अपील अपीलार्थी खारीज करना फरमावें।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का गहन अध्ययन किया गया। बहस पर मनन करने के उपरान्त न्यायालय का मत है कि अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा जो कथन किये गये है वे सत्य प्रतीत होते हैं। संलग्न पत्रावली में अपीलार्थी द्वारा जो दस्तावेजो की छायाप्रतियॉ प्रस्तुत की गई है उन तीनो दस्तावेजो में अपीलार्थी का

निवास स्थान अलग अलग है साथही प्रथम दृष्ट्या इन पर लगे हुए फोटो भी मिलान नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी अपनी अपील को साबित कराने में विफल रहा हैं।

अतः अपील अपीलार्थी सारहीन होने से खारीज की जाती हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हों।

(बिष्णु चरण मल्लिक)
जिला कलक्टर,
उदयपुर